न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 145/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. पुनीत कुमार पिता श्री चन्दनमल सिंघवी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाशचन्द्र पिता भैरूलाल बापना
2. संजय कुमार पिता भैरूलाल बापना
3. भगवतीलाल पिता शेषमल बापना
4. कैलाशचन्द्र पिता शेषमल बापना
5. रामेश्वर पिता मांगीलाल राव
6. भैरू पिता मांगीलाल राव
7. बदाम पुत्री मांगीलाल राव
8. श्रीमति चुन्नी बेवा मांगीलाल राव
9. गोरधन पिता शम्भुसिंह राव
10. माधवलाल पिता शम्भुसिंह राव
11. रतन पिता कल्याणसिंह राव
12. जमना पिता कल्याणसिंह राव
13. जवाना पिता कल्याणसिंह राव
14. भगवती पिता कल्याणसिंह राव
15. सुरेश पिता मोतीसिंह राव
16. रतनी पुत्री मोतीसिंह राव
17. मंजु पुत्री मोतीसिंह राव
18. रेखा पुत्री मोतीसिंह राव नाबालिग बविलायत माता मीठुकंवर राव
19. रिंकु पुत्री मोतीसिंह राव नाबालिग बविलायत माता मीठुकंवर राव
20. हेमा पिता मोतीसिंह राव नाबालिग बविलायत माता मीठुकंवर राव
21. मीठुकंवर बेवा मोतीसिंह राव
22. पप्पुसिंह पिता माधोसिंह राजपूत
23. श्रीमति शैलकंवर बेवा माधेसिंह राजपूत
24. भैरुलाल पिता उदेराम जाट
25. डालु पिता कालुराम जाट

    सर्व निवासी नान्दशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

26. सुरेशचन्द्र पिता मोहनलाल बहेडिया निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा।
27. रामेश्वरलाल पिता मोहनलाल काबरा निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः– 27 / 06 / 2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4540 रकबा 0.5800 हे0, 4541 रकबा 0.5200 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 769 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थी

क्रमश....

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :– 145/2
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 27 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्य4540 रकबा 0.5800 हे0, 4541 रकबा 0.5200 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1000 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/19

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर